

(6) दस्तावेज जो नियंत्रणाधीन हैं :

राज्य से संबंधित कार्यकलापों के समस्त अभिलेख मुख्यालय पर राज्य मद्यनिषेध अधिकारी के नियंत्रण में तथा क्षेत्र स्तर पर जनपदों से संबंधित समस्त दस्तावेज संबंधित क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों के नियंत्रणाधीन है।